Forest Khas Land in Sikkim

6613. SHRI MAHESHWAR SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that forest land in North Sikkim recorded as Khas land under the Forests Department covered by Plat Nos. 4,300 and 303 at Tung-Mailing, Plot No. 41/449 at Barfock/ Naga recorded as Forest Khas land in 1952 and 1976-78 survey maps of 1982 have been transferred as private holdings for compensation benefits;

(b) if so, whether Ministry has given its environmental clearnace to the Suite Government of such transfer of forest land to private persons;

(c) whether it is also a fact that these forest lands arc in the approved map of the Surveyor General of lndia as forest land being Khas land, if so, what action the Ministry propose to take in those cases; and

(d) whether Government's attention has been drawn to the newsitem which appeared in the Indian Express of 2nd January, 1994 in regard to part (a) and (b) above if so what action has been taken thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (d) Information is being collected and will be placed at the tabic of the House.

छोटा नागपुर में बंजर भूमि के विकास हेतु योजनाएं

6614. **श्री जनार्दन यादव:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटा नागपुर, संथाल परगना, बांका और जमुई जिलों में बंजर भूमि के विकास हेतु मंत्रालय तथा अन्य सहकारी संस्थाओं द्वारा कितनी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ख) उन सहकारी संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से चलाई जा रही हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

गोमती नदी को प्रदूषण-मुक्त कराने के उपाय

6615. **श्री सोमपाल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मार्च, 1994 के लखनऊ से प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र "जागरण" में "गोमती में घातक कीटनाशकों का बढ़ता स्तर भयावह" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के बड़े राज्य की राजधानी लखनऊ सहित अन्य कई महत्वपूर्ण नगरों को सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल उपलब्ध कराने के अलावा जल की आपूर्ति करने वाली इस महत्वपूर्ण नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) कृषि मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में डी०डी०टी० के प्रयोग को वापस ले लिया है और स्वास्थ्य क्षेत्र में उसके इस्तेमाल को 10,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक प्रतिबंधित कर दिया है। वनस्पति, फल, तेलहन, फसलों और अनाज के संरक्षण के लिए बी०एच०सी० के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा उसके उत्पादन के पैमाने को भी कम कर दिया गया है। उपर्युक्त निर्णयों का समय-समय पर पुनरावलोकन किया जाएगा ताकि कुछ समय बाद इन हानिकारक कीटनाशकों को समाप्त किया जा सके। सरकार भी समेकित नाशीजीव (पेस्ट) प्रबंध कार्यक्रम के माध्यम से गैर-रसायन कीटनाशकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दे रही है, जिससे कि कीटनाशकों